# कार्यालयः जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा), रूद्रप्रयाग

आदेश संख्याः प्रा0शि0/सेवा–02/ 119 /वा0स्था0/2018–19 दिनांकः 25 जून 2018

## कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 16(2) में गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के मानकानुसार स्तम्भ–06 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

**सुगम से दुर्गम**

पदनाम– सहायक अध्यापक

| क0 सं0 | अध्यापक का नाम | पद नाम | वर्तमान विद्यालय | श्रेणी | नवीन तैनाती विद्यालय | श्रेणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01 | श्रीमती निर्मला कठैत | स0अ0 | रा0प्रा0वि0 पंचभैयाखाल अगस्त्यमुनि | सुगम | रा0प्रा0वि0 सिद्धपीठ अगस्त्यमुनि | दुर्गम | रिक्त पद के प्रति |
| 02 | श्रीमती कुसुम सकलानी | स0अ0 | रा0प्रा0वि0 बन्दरतोली जखोली | सुगम | रा0प्रा0वि0 श्रीकोट जखोली | दुर्गम | रिक्त पद के प्रति |

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–22 में निहित प्राविधानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं–

1. स्थानान्तरित अध्यापक इस आदेश जारी किये जानें के दिनांक से 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें। सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक तत्काल प्रभाव से सम्बन्धित शिक्षकों को नवीन तैनाती स्थल हेतु कार्यमुक्त कर लेंवे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करनें पर उनके विरूद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. अवमुक्त होने वाले शिक्षक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।
5. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/ टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्तर्गत स्थानान्तरण करनें वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(डा0 विद्याशंकर चतुर्वेदी),
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
रूद्रप्रयाग।

पृ0सं0: प्रा0शि0/सेवा–02/ 1431-43 /वा0स्था0/2018–19 दिनांकःउक्तवत।

**प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–**

1. जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अपर जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग।
4. अपर शिक्षा निदेशक, प्रा0शि0, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी रूद्रप्रयाग।
6. जिला परियोजना अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान रूद्रप्रयाग।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी रूद्रप्रयाग/सम्बन्धित उप कोषाधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित का जुलाई 2018 का वेतन नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा।
8. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद रूद्रप्रयाग।
9. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक रा0प्रा0वि0/रा0उ0प्रा0वि0 जनपद रूद्रप्रयाग।
10. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को अनुपालनार्थ (सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से)।
11. कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
रूद्रप्रयाग